"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 460] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर 2020 — आश्विन 8, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2020

क्रमांक 7402/डी. 150/21–अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 21–09–2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
क्रमांक (17 सन् 2020)
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020.

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (114) के उप–खण्ड (ग) एवं (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव;

(घ) लद्दाख;"

3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), (ग) तथा (घ) में, शब्द "माल" के पश्चात्, शब्द "या सेवाओं" अंतःस्थापित किया जाये। धारा 10 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में, शब्द "से संबंधित बीजक" का लोप किया जाये। धारा 16 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:— धारा 29 का संशोधन.

"(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए अब दायी न रहा हो या धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण का त्याग करना चाहता हो।"

6. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:— धारा 30 का संशोधन.

"परंतु ऐसी अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए,—

(क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त के द्वारा, तीस दिवस से अनधिक अवधि के लिये;

(ख) आयुक्त द्वारा, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे, आगे तीस दिवस से अनधिक अवधि के लिये,

बढ़ायी जा सकेगी।"

7. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये; अर्थात्:— धारा 31 का संशोधन.

"परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) ऐसे समय में और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाये, सेवाओं या प्रदाय के प्रवर्गों को, जिनके संबंध में

कर बीजक जारी किया जायेगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ख) उसमें यथा उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन, सेवाओं के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में–

(एक) प्रदाय के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज, कर बीजक समझा जायेगा; या

(दो) कर बीजक जारी किया जाना अपेक्षित न हो।"

धारा 51 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 51 में,–

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(3) ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाये, स्त्रोत पर की गई कर कटौती का प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।"

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाये।

धारा 122 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i), (ii), (vii) या खंड (ix) के अधीन आने वाले संव्यवहार से हुए लाभ का प्रतिधारण करता है और जिसके निर्देश पर ऐसा संव्यवहार हुआ है, अपवंचित कर या लिए गए या अग्रेषित इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य राशि की शास्ति का दायी होगा।"

धारा 132 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "जो निम्नलिखित में से किसी दंड को कारित करता है" के स्थान पर, शब्द "जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है या कारित करवाता है और उससे

उत्पन्न लाभ का प्रतिधारण करता है" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या कपटपूर्वक, बिना किसी बीजक या बिल के, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है;"

(तीन) खंड (ङ) में, चिन्ह एवं शब्द ",कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति" का लोप किया जाये।

11. मूल अधिनियम की धारा 140 में,— **धारा 140 का संशोधन.**

(क) उपधारा (1) में, शब्द "ऐसी रीति में" के पूर्व, शब्द "ऐसे समय में और" अंतःस्थापित किया जाये;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "ऐसी रीति में" के पूर्व, शब्द "ऐसे समय में और" अंतःस्थापित किया जाये;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "नियत दिन को" के पश्चात्, शब्द "ऐसे समय में और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाये," अंतःस्थापित किया जाये;

(घ) उपधारा (5) में, शब्द "विद्यमान विधि के अधीन" के पश्चात्, शब्द "ऐसे समय में और ऐसी रीति में, जो कि विहित है," अंतःस्थापित किया जाये;

(ङ) उपधारा (6) में, शब्द "मूल्य संवर्धित कर का प्रत्यय" के पूर्व, शब्द "ऐसे समय में और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाये," अंतःस्थापित किया जाये;

(च) उपधारा (7) में, शब्द "ऐसी रीति में" के पूर्व, शब्द "ऐसे समय में और" अंतःस्थापित किया जाये।

जो कि जुलाई, 2017 के प्रथम दिवस से प्रभावी होगा।

नवीन धारा 168क का अन्तस्थापन.

12. मूल अधिनियम की धारा 168 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"168क. **विशेष परिस्थितियों में समय सीमा में विस्तार करने की सरकार की शक्ति.**— (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे कार्य, जो प्राकृतिक आपदा के कारण पूरे नहीं हो सके हों या जिनका अनुपालन नहीं किया जा सका हो, के संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित समय—सीमा को बढ़ा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति, ऐसी तारीख से सम्मिलित होगी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, शब्द "प्राकृतिक आपदा" से आशय है युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप या कोई अन्य आपदा, जो प्राकृतिक या अन्य कारणों से उत्पन्न हो, जो इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के क्रियान्वयन को प्रभावित करती हो।"

13. मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (1) के परंतुक में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर, शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 172 का संशोधन.**

14. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 4 में, जहां कहीं भी शब्द "भले ही प्रतिफल के बदले हो या नहीं" आये हों का लोप किया जाये, जो कि जुलाई, 2017 के प्रथम दिवस से प्रभावी होगा। **अनुसूची 2 का संशोधन.**

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2020

क्रमांक 7402/डी. 150/21–अ/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 30–09–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 17 of 2020)

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2020.

An Act further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 2.

2. The Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), (hereinafter referred to as the Principal Act), For sub-clause (c) and (d) of clause (114) of Section 2 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(d) Ladakh;"

3. In clauses (b), (c) and (d) of sub-section (2) of Section 10 of the Principal Act, after the words "of goods", the words "or services" shall be inserted. **Amendment of Section 10.**

4. In sub-section (4) of Section 16 of the Principal Act, the words "invoice relating to such" shall be omitted. **Amendment of Section 16.**

5. For clause (c) of sub-section (1) of Section 29 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 29.**

"(c) the taxable person is no longer liable to be registered under Section 22 or Section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of Section 25."

6. After sub-section (1) of Section 30 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 30.**

"Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,—

(a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;

(b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a)."

7. For the proviso of sub-section (2) of Section 31 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 31.**

"Provided that the Government may, on the

recommendations of the Council, by notification,—

(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;

(b) subject to the conditions mentioned therein, specify the categories of services in respect of which—

(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(ii) tax invoice may not be issued."

Amendment of Section 51.

8. In Section 51 of the Principal Act,-

(a) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed."

(b) sub-section (4) shall be omitted.

Amendment of Section 122.

9. After sub-section (1) of Section 122 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on."

10. In sub-section (1) of Section 132 of the Principal Act,— **Amendment of Section 132.**

(i) for the words "Whoever commits any of the following offences", the words "Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences'' shall be substituted;

(ii) for clause (c), the following shall be substituted, namely:—

"(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;"

(iii) in clause (e), the punctuation and words ",fraudulently avails input tax credit" shall be omitted.

11. In Section 140 of the Principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,— **Amendment of Section 140.**

(a) in sub-section (1), before the words "in such manner", the words "within such time and" shall be inserted;

(b) in sub-section (2), before the words "in such manner", the words "within such time and" shall be inserted;

(c) in sub-section (3), before the words "subject to the following", the words " within such time and in such manner as may be prescribed," shall be inserted;

(d) in sub-section (5), after the words "existing law,", the words " within such time and in such manner as prescribed" shall be inserted;

(e) in sub-section (6), after the words "subject to the following", the words "within such time and in such manner as may be prescribed" shall be inserted;

(f) in sub-section (7), before the words "in such manner", the words "within such time and" shall be inserted;

Insertion of new Section 168A.

12. After Section 168 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"168A. **Power of Government to extent time limit in special circumstances.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to force majeure.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation.— For the purposes of this section, the expression "*force majeure*" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by

nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act."

13. In the proviso of sub-section (1) of Section 172 of the Principal Act, for the words "three years", the words "five years" shall be substituted. **Amendment of Section 172.**

14. In paragraph 4 of Schedule-II of the Principal Act, the words "whether or not for a consideration," wherever they occur, shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017. **Amendment to Schedule-II.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.